A9579 SPLADI राजस्थान

# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

सरकार बनाम राजेश कुमार

मुकदमा संख्या : 58/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 01.05.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी हेतु दिनांक 07.05.2025 को पेश हों।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ जिला जयपुर | |
| | 07.05.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रा0 पत्र 1(10) सीपीसी में वादीगण द्वारा ग्राम डूंगाकाबास तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 163 रकबा 1.55है0 के खातेदार द्वारा उक्त भूमि का हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति को समर्पण कर हस्तान्तरित कर दी है। समिति द्वारा भूखण्उधारियों को पटटे जारी कर भूखण्ड आवंटित कर कबजा संभला दिया है। भूखण्डधारी कान्ता शर्मा द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड सं0 1 लगायत 9 व 10 लगायत 18 के बाबत के दो मुख्तयारआम ओमप्रकाश पुत्र कैलाश चन्द सोनी निवासी धोला व राधेश्याम यादव पुत्र कालूराम यादव निवासी लाडीपुरा एवं हरिनारायण पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी धीरावास व सियाराम पुत्र रामनारायण शर्मा ग्राम धोला है। बहैसियत मुख्तयारआम स्वामी मालिक है तथा उक्त भूखण्डों के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने के हक अधिकार हासिल है। इसलिए वाद में पक्षकार संयोजित किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी आवश्यक है।<br>प्रा0पत्र 7(11) सीपीसी में निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा बिना मौका मुवायना किये ही केवल मात्र पटवारी हलका रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्ररकण पेश किया है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी स्वतंत्र गवाह हस्ताक्षर भी नही है तथा बिना वैध तथ्यों के प्रस्तुत की है। खातेदार राजेश कुमार बुनकर का स्वर्गवास पूर्व में हो गया है। खातेदार मृतक एवं मृतक के वारिसान को बिना सूचना दिये ही रिपोर्ट तैयार की है। मृतक के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।<br>पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वकील अप्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1(10) एवं आदेश 7(11) सीपीसी का पेश किया गया है। वह बिना तथ्यों व दस्तावेजों के पेश किया गया है। चुकि राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में अप्रार्थी राजेश कुमार का ही नाम अंकित है तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार ही प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि का मौका व राजस्व रिकार्ड अनुसार जॉच कर खातेदार को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश नही की | |

है। जिहाजा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1(10) एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7(11) सीपीसी खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि वाके ग्रम डूंगा कां बास तहसील आंधी में स्थित वादग्रस्त भूमि खातेदार राजेश कुमार के नाम ही है तथा तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार के नाम से ही प्रकरण प्रस्तुत किया है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई प्रति पेश नही की है। ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1(10) सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7(11) सीपीसी को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1(10) सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7(11) सीपीसी को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के संबंध में तहसीलदार द्वारा जॉच रिपोर्ट लेने हेतु पत्र लिखा जावें । पत्रावली दिनांक 12.05.2025 को पेश हों।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

12/5/25 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार हाजिर उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार इन्द्राज रिपोर्ट हेतु दिनांक 19/5/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

19/5/25 पत्रावली पेश हुई, पैरोकार हाजिर उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार इन्द्राज रिपोर्ट हेतु दिनांक 22/07/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम राजेश कुमार वगै0

मुकदमा नं0 :– 58/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 22.05.2025 | पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/आरटी/2025/443 दिनांक 21.05.2025 द्वारा जॉच रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि मजमे आम मे मौतबिरानों ने बताया कि राजेश कुमार पुत्र बद्री बुनकर नाम का व्यक्ति दंताला गुजरान के बुनकर मोहल्ला में रहता है और वर्तमान मे मौजूद है। अप्रार्थी की ओर से श्री राखल कुमार परिडा मुख्तयारनामा आम ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत भूमि रूपान्तरित किये जाने एवं स्थगन आदेश खारिज किये जाने हेतु मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश किये। जिन्हे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार व अप्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ, जिला–जयपुर | |
| | 02.06.025 | पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डूंगा का बास, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खाता सं0 82 के खसरा नम्बर 163 रकबा 1.5500है0 किस्म बारानी 3 मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में अवैध ग्रैवल सडक डाल कर कॉलोनी काटी जा रही है। जिससे कृषि भूमि का स्परूप बिगाड दिया है। अतः खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत हानिप्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली का दायी व भागीदार है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि को सिवायचक राजकीय सम्पदा घोषित करने के आदेश दिया जावें।<br>अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजी बाबत चाही गई आवासीय कन्वर्जन की राशि माननीय न्यायालय के समक्ष जमा करवा दी है। तथा उक्त भूमि पर स्थगन आदेश होने से भूमि का कनवर्जन नही हो पर रहा है इसलिये न्यायहित में स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। जिससे उक्त भूमि का कन्वर्जन हो सके। अप्रार्थी द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करवाये जाने से उक्त प्रकरण में कोई वास्तविक विवाद शेष नही रहा है इसलिए पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाना न्यायहित है। उक्त संबध मे स्टाम्प व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः पत्रावली को खाजिर फरमाया जावें।<br>अतः पैरोकार सरकार व अप्रार्थी की बहस सुनने व मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का कन्वर्जन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा कन्वर्जन की राशि भी जमा करवा दी है। अप्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण को खारिज करना उचित समझते है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार आंधी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात छः माह बाद पुनः मौके एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करें।<br>निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ, जिला–जयपुर | |